संख्या 127 / XXIV–2(5) / 2006

प्रेषक,

एस0के0माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर,2006

विषय– अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के लिए मानको का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राईमरी,जूनियर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–3649 / 15–7–12(25) / 79 दिनांक 6 अक्टूबर,1994 द्वारा मानक निर्धारित किये गये थे। राज्य गठन के उपरान्त पूर्व से निर्धारित व्यवस्था पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के संबंध में मानक निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। मानक परिशिष्ठ 'क' में दिये गये है।

अल्पसंख्यंक संस्था घोषित किये जाने हेतु निर्धारित मानको की पूर्ति करने वाली शिक्षण संस्थाओं को संलग्न परिशिष्ठ 'ख' पर आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपनी संस्तुति सहित आख्या निदेशक,विद्यालयी शिक्षा,उत्तरांचल को उपलब्ध करायेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों पर शिक्षा निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार किया जायेगा–

क. प्रारम्भिक स्तर(कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 6 से 8)के अशासकीय विद्यालयों के संबंध में।

1. निदेशक,विद्यालयी शिक्षा,उत्तरांचल – अध्यक्ष
2. अपर शिक्षा निदेशक,विद्यालयी शिक्षा निदेशालय – सदस्य
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक(बेसिक)विद्यालयी शिक्षा निदेशालय – सदस्य

ख. माध्यमिक स्तर(कक्षा 6 से 10 अथवा कक्षा 6 से 12)के अशासकीय विद्यालयो के संबंध में–

1. निदेशक,विद्यालयी शिक्षा,उत्तरांचल – अध्यक्ष
2. अपर शिक्षा निदेशक,विद्यालयी शिक्षा निदेशालय – सदस्य
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)विद्यालयी शिक्षा निदेशालय – सदस्य

निदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति की आख्या एवं संस्तुति एक माह के भीतर शासन को प्रेषित की जायेगी। शासन को प्राप्त ऐसे प्रकरणों पर शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा और उक्त समिति

अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करेगी । इस हेतु निम्नवत समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1	प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा / सचिव ,विद्यालयी शिक्षा,उत्तरांचल शासन	—	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव,न्याय / सचिव,न्याय उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से अन्यून स्तर का हो	—	सदस्य
3.	सचिव,मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से अन्यून स्तर का हो	—	सदस्य
4.	सचिव,समाज कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से अन्यून स्तर का हो	—	सदस्य
5	उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अथवा अल्प संख्यक आयोग का सचिव	—	सदस्य
6	निदेशक,विद्यालय शिक्षा,उत्तरांचल	—	सदस्य
7	अपर सचिव,माध्यमिक / बेसिक शिक्षा, उत्तरांचल शासन	—	संयोजक

प्रारम्भिक स्तर की संस्थाओ के संबंध में समिति के संयोजक अपर सचिव ,बेसिक शिक्षा,उत्तरांचल शासन होगे तथा माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के संबंध में समिति के संयोजक अपर सचिव,माध्यमिक शिक्षा, उत्तरांचल शासन होगे। शासन द्वारा प्रस्ताव यदि स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति संबंधी आदेश निदेशक,विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल और संबंधित संस्था को प्रेषित किये जायेगे। यदि अस्वीकृत दी गयी है तो अस्वीकृति के कारणो से निदेशक,विद्यालयी शिक्षा ,उत्तरांचल के माध्यम से संबंधित संस्था को अवगत कराया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्धारित प्रकिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(एस0के0माहेश्वरी)
सचिव

संख्या– 127(1)/XXIV–2(5)/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव,न्याय / सचिव,न्याय उत्तरांचल शासन।
2. सचिव मुख्यमंत्री,उत्तरांचल शासन।
3. सचिव,समाज कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण,उत्तरांचल शासन।
4. अध्यक्ष,उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग।
5. अपर सचिव,माध्यमिक / बेसिक शिक्षा,उत्तरांचल शासन।
6. अपर शिक्षा निदेशक,विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तरांचल देहरादून।
7. संयुक्त शिक्षा निदेशक(माध्यमिक / बेसिक)विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तरांचल देहरादून।
8. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक,कुमाऊँ गण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
9. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या 127 दिनांक 17-10-06

परिशिष्ट 'क'

अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों,पूर्व माध्यमिक विद्यालयों,हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के लिए मानको का निर्धारण।

<u>आवेदन पत्र</u>

1.ऐसे प्रत्येक संस्था के लिए ,जो अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा करे,यह आवश्यक होगा कि वह संस्था के संविधान,मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन,नियमावली,संस्था / विद्यालय की प्रशासन योजना तथा अन्य अभिलेखो सहित,निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करें।

<u>संस्था की स्थापना का उद्देश्य व कारण</u>

2.अल्पसंख्यक संस्था का निर्धारण या तो धर्म अथवा भाषा के आधार पर किया जायेगा। मोटे तौर पर इस संबंध में यह देखा जायेगा कि किस भावना तथा किस उद्देश्य को लेकर संस्था की स्थापना की गयी है ।

संस्था की स्थापना धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा की गयी हो तथा संस्था धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशासन में हों।

संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य किसी विशेष धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यको के हितार्थ हो। इस संबंध में अनुवर्ती समय में संस्था के मूल मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन में किया गया कोई संशोधन जिससे संस्था की स्थापना का उद्देश्य बदलता हो ,मान्य नहीं होगा ।

किसी विद्यालय को उनके नाम के आधार पर या इस कथन के आधार पर कि विद्यालय को स्थापित करने या संचालित करने वाली जनरल बॉडी की कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य या सभी सदस्य किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य है,अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित अथवा स्थापित विद्यालय नहीं माना जा सकता,जब तक कि विद्यालय की स्थापना या संचालन संबंधी अभिलेखो आदि से पूर्णतया यह स्पष्ट न हो जाय कि विद्यालय किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं संचालित है। अतएव मामले का का परीक्षण विस्तार से करना आवश्यक होगा ।

यदि कोई विद्यालय किसी धर्म के किसी जाति साम्प्रदायिक निकाय(डिनोमिनेशनल बॉडी)की विधिवत स्थापित किसी सोसायटी जैसे क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी,महाबोधि सोसायटी ऑफ इण्डिया,गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति आदि द्वारा स्थापित एवं संचालित है तो ऐसे विद्यालयों को धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालय माना जा सकेगा। इस संबंध में आवश्यक सूचनाओं की पुष्टि जिन अभिलेखो से हो सके जैसे संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र,विद्यालय की प्रशासन योजना,संचालन करने वाली समिति या संस्था की नियमावली आदि,उन्हें प्रबन्धक से प्राप्त करके तथा उनकी भली-भांति छानबीन करने के पश्चात की संस्तुति / असंस्तुति की जाय।

<u>सोसायटी का पंजीकरण</u>

3.शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध तंत्र को विधिक स्तर प्राप्त होना चाहिए तथा 'सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट' के अन्तर्गत निर्बन्धित व्यक्तियों का एक समूह अथवा समष्टि हित के संकल्प सहित कोई संस्था होनी चाहिए।

<u>संस्था के संस्थापक सदस्य</u>

4.संस्था की स्थापना में किसी धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यो ने सहयोग किया हो तथा संस्था के संस्थापकगण किसी विशेष धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के रहे हो।

संस्था की प्रबन्ध समिति में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के होने चाहिए।

संस्था में प्रवेश

5.अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्था धर्म व जाति के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी तथा बिना संरक्षक की राय के धार्मिक अनुदेश नहीं देगी तथा धार्मिक पूजा पाठ में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करेगी।

संस्था का प्रबन्ध

6(क)शैक्षिक संस्थाओं को अधिशासित करने का अधिकार तर्कसंगत नियमों के अधीन होना चाहिए जैसे–

(i)सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता संबंधी शर्तों का निर्धारण।

(ii)अध्यापकों की योग्यता और सेवा शर्तों का निर्धारण।

(ख)अन्तर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाएँ कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द में बाधा पहुँचे।

(ग)संस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अधिशासित होने के नाते विशेषाधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु नहीं करेगी।

(घ)संस्था शैक्षिक /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही विषयक नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप रखेगी।

(ड.)संस्था कुशल प्रशासन के सिद्धान्तों का अनुसरण करेगी, तथा

(च)शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रदेश में लागू सामान्य सिद्धान्तों का कियान्वयन करेगी।

7.(क)अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों की अपेक्षित अर्हतायें वही होगी जैसी कि विद्यालयी शिक्षा अधिनियम,2006 एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अन्तर्गत वर्णित है।

(ख)अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं को विद्यालयी शिक्षा अधिनियम,2006 की संगत धाराओं के अधीन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा अर्ह व्यक्ति को नियुक्त करने की छूट प्राप्त होगी।

(ग)किसी भी संस्था का 'अल्पसंख्यक घोषित हो जाने का आशय यह नहीं है कि उसे शासन से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी। इस संबंध में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

(घ)नयी संस्था /विद्यालय खोलने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

8.प्रशासन योजना में इस प्रकार के प्रावधान नहीं होने चाहिए,जिससे कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार निष्प्रभावी हो जायें,उदाहरणार्थ–

क. ऐसी शर्त,कि राज्य सरकार को संस्था के प्रबन्धन का कार्य अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा।

ख. यह,कि राज्य सरकार को प्रबन्ध समितियां गठित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

ग. संस्था के प्रबंधतंत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना।

घ. यह,कि राज्य सरकार ,संस्था से अपेक्षा करेगी कि सीटों को आरक्षित करें।

ड. यह कि संस्था के छात्र,शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने के अयोग्य होंगे।

च. यह,कि सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि शिक्षण के माध्यम के रूप में किसी भाषा का प्रयोग हो।

शासनादेश संख्या.....127 दिनांक 17/10/06

परिशिष्ट 'ख'

प्रदेश की प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु निर्धारित प्रारुप

संस्था/विद्यालय का नाम

पत्र व्यवहार का पता

संस्था/विद्यालय का स्थापना वर्ष

जिस लेख(डॉक्यूमेन्ट)द्वारा संस्था की स्थापना की गयी है उसका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)किस तिथि को और कहा हुआ है।

संस्था/विद्यालय को शासन द्वारा अनापत्ति दिये जाने विषयक शासन के आदेश की संख्या व दिनांक

संस्था/विद्यालय को किस शिक्षा परिषद की मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त है

मान्यता पत्र/सम्बद्धता पत्र की संख्या एवं दिनांक

संस्था की पंजीकरण संख्या व दिनांक

पंजीकरण की नवीनीकरण संख्या व दिनांक

पंजीकरण कार्यालय का नाम व पता

संस्था/विद्यालय की स्थापना किस भावना अथवा किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गयी है । संस्था के संविधान में उसके उल्लेख का विवरण

जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों,समिति या ट्रस्ट द्वारा संस्था की स्थापना की गयी,उस या उनका नाम,पूरा पता एवं समिति या ट्रस्ट की स्थिति में मुख्य कार्यालय का पता

संस्था/विद्यालय जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है,वह या वे किस धार्मिक/भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के है

समिति/ट्रस्ट के कुल सदस्यों की संख्या तथा प्रत्येक वर्तमान सदस्य जिस धार्मिक /भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग को हो,उसका विवरण

संस्था की प्रबंध समिति के कुल सदस्यों की संख्या तथा भाषायी/धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों की संख्या

वर्तमान में संस्था/विद्यालय किसके द्वारा संचालित है

भाषाई अल्पसंख्यक होने के दावे की दशा में उन आधारों का उल्लेख जिन पर दावा किया गया हो

संस्था/विद्यालय के अध्यापकों/प्रधान का विवरण(नाम,प्रत्येक की योग्यता,चयन प्रक्रिया तथा नियुक्ति के वर्ष सहित)

संस्था/विद्यालय के शैक्षिक,वित्तीय और प्रशासनिक प्रबन्ध की स्थिति

क.....................

प्रबन्धक के हस्ताक्षर

द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्न पत्रजात भी संलग्न किये जाएँ–

संस्था के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

संस्था का संविधान,मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन,नियमावली,एवं संस्था/विद्यालय की प्रशासन योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि।

संस्था के प्रबंध तंत्र के सदस्यों की सूची,उनके धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक होने के विवरण सहित

परिशिष्ट 'क' में दिये गये मानको के क्रम संख्या–5,6 व 7 के अनुपालन के संबंध में [illegible] क का शपथ पत्र।